

भाग-द

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग- 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

----- वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या -----
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री -----
(पदनाम) ----- विकास परिषद द्वारा दिनांक ----- को कर लिया गया है एवं
विकास कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश
नगर योजना और विका अधिनियम,1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है।

हस्ताक्षर.
पदनाम
कार्यालय की मुहर

दिनांक.